मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी–1/दै.वे.भो./विविध–24/4923 भोपाल, दिनांक 01/03/2021

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ग्वालियर/भोपाल/इन्दौर/
उज्जैन/जबलपुर/सागर/रीवा.

2. कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0 राज्य कृषि विणन बोर्ड
तकनीकी संभाग (समस्त) ....

विषय::–राज्य मण्डी बोर्ड सेवा और कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/स्थायी कर्मियों की जानकारी भेजने के सबंध में।

संदर्भः–इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी–1/निय./18–19/570 दिनांक 07.11.2019 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 11.12.2019.

संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि राज्य मण्डी बोर्ड सेवा/कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के अन्तर्गत कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ कर्मियों के नियमितीकरण के सबंध में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3, दिनांक 16 मई 2007 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 08.08.2008, दिनांक 06 सितम्बर 2008 तथा समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा दिशा निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी किये गये थे जिसके पालन में समय–समय पर नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है, परन्तु यह देखने में आया है कि अब भी मण्डी समितियों में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं मण्डी समिति सेवा में अभी भी दैनिक वेतनभोगी एवं तदर्थ कर्मचारी कार्यरत हैं।

इस सबंध में पूर्व में भी समस्त म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालयों एवं मण्डी समिति कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये और वहाँ पदस्थ दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ कर्मचारी को सबंधित कार्यालय प्रमुख को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जाये। सबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थ दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ कर्मचारी तथा नियमितीकरण के विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण कर अभिलेखों को सत्यापित करके नियमितीकरण के सबंध में अपनी अनुशंसा आंचलिक संयुक्त/उप संचालक के माध्यग से भिजवाने हेतु लिखा गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आंचलिक कार्यालयों एवं मंडी समितियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर 2016 द्वारा जारी निर्देश के परिप्रेक्ष्य में चतुर्थ श्रेणी के स्थायी कर्मियों को नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है। इसके पश्चात् भी यह देखने में आ रहा है कि अब भी मंडी समितियों में राज्य मंडी बोर्ड सेवा एवं मंडी समिति सेवा में अभी भी दैनिक वेतनभोगी एव तदर्थ कर्मी कर्मचारी कार्यरत है।

अतः आंचलिक कार्यालयों एवं मंडी समितियों कार्यालयों के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत समस्त दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/स्थायी कर्मियों के सबंध में संभाग के मण्डी सचिवों के साथ समीक्षा कर आंचलिक कार्यालय स्तर से न्यायालयीन/अपील/अपराधिक प्रकरणों की अद्यतन स्थिति दर्शाते हुए संलग्न पूर्व निर्धारित प्रपत्र में विवरण/सत्यापित अभिलेख सहित सूची तैयार कर एकजाई जानकारी नाम छूटने का कारण सहित दिनांक 25.03.2021 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इसके पश्चात भी अगर किसी भी दैनिक वेतभोगी/तदर्थ/स्थायी कर्मी का नाम छूट जाता है तो उसके लिये सबंधित आंचलिक कार्यालय एवं मंडी समिति जवाबदेह होगें।

संलग्नः—संलग्न।

संयुक्त संचालक (मंडी कार्मिक)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक/मण्डी कार्मिक/बी—1/दै.वे.भो./विविध—24/4924 भोपाल, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

भारसाधक अधिकारी/सचिव, समस्त कृषि उपज मण्डी समिति की ओर प्रेषित कर नियत समयावधि में पूर्व निर्धारित प्रपत्र में जानकारी/सत्यापित अभिलेख अपने आंचलिक कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

संयुक्त संचालक (मंडी कार्मिक)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

<u>प्रारूप</u>

राज्य मंडी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/स्थायी कर्मियों की जानकारी हेतु प्रपत्रः–

क	मंडी का नाम	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति दिनांक	दै.वे.पर पदनाम	शैक्षणिक अर्हता	क्या वह जिस पद पर रखा गया था उस पद की भर्ती नियमो के अनुसार वह अर्हता रखता था हाँ/नही	क्या भर्ती नियमों के अनुसार दै.वे.भो. की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई। हाँ/नही	क्या जिस संवर्ग का पद रिक्त है। वह उसी वर्ग से संबंधित है। हाँ/नही	दै.वे.भो. कर्म. का जाति प्रमाण पत्र हाँ/नही	यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण/अपराधिक प्रकरण हो तो स्पष्ट विवरण अंकित करें। हाँ/नही	नियुक्ति के समय दै.वे.भो. क्या शासन द्वारा निर्धारित आयु था अथवा नहीं। हाँ/नही	वर्ममान में पद रिक्त हाँ/ नहीं	नाम छूटने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(पदमुद्रा एवं सील)